

प्रकाश,

महोदय,
विशेष सहायक,
उत्तर प्रदेश विद्यालय

सेवा में,

राष्ट्रीय
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
बिहार बिल्डिंग-2 संग्रहालय ब्लॉक,
प्रो. विहार, नई दिल्ली

दिनांक 17 अगस्त 2002

संख्या: दिनांक : 21 अगस्त, 2002

विषय:- रेडियन्ट सेंट्रल विद्यालय राबेडगी, जालपुर अम्बेडकरनगर को सी.सी.टी.ओ.सी.ओ. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनामित प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह पत्र कने का निदेश प्राप्त है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी.सी.टी.ओ.सी.ओ. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनामित प्रमाण पत्र दिये जाने में सा. राज्य सरकार की विद्या-निश्चित प्रक्रिया के अर्थात् अनुदान नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सहायता की मात्रा-संगणक पर की जांच करवाये जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुदानित न होना चाहिए के तर्कों के लिए सुरक्षित रॉय और उनके उपरोक्त परिषद द्वारा संघनित विद्यालयों में विद्यमान कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से मिली अनुदान की मात्रा नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वसिष्ठ शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीसिन फार दि. अनुदान रकम सी.सी.टी.ओ.सी.ओ. नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उपरोक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

-----2-----

Nishu
MANAGER

Radiant Central Childern Academy
Jalalpur-Ambekar Nagar

PRINCIPAL
Radiant Central Childern Academy
Jalalpur-Ambekar Nagar

- 151 संस्था अधिक एवं विद्येत्तर कर्मचारियों को राजकीय तहसील प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य मूल्यों से कम वेतनमान तथा अन्य मूल्यों नहीं दिये जायेंगे।
- 161 कर्मचारियों को सेवा शर्तें बनायीं जायेंगी और उन्हे सहायता प्राप्त असासनीय उत्पत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश विगत दिये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 181 विद्यालय रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/नियमों में रखा जायेगा।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अपना पालन करने में किसी प्रकार की धूक या शिकायत बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनाधिकृत प्रमाण पर वापस से लिया जायेगा।

भारतीय,

मोहम्मद मुस्तफा
विशेष सचिव।

सू०सं०-2773111/15-7-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्रवायों हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मध्यमिक संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकरनगर।
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय, उ०प्र०लखनऊ।
- 5- प्रिंसिपल, रेडिस्ट मैट्रन विद्यालय एम्बेडकी, जालपुर अम्बेडकरनगर।
- 6- गाँव धुक्।

आज्ञा से,

अशोक चन्द्र गुप्त
अनु सचिव।

Nisha
MANAGER

Radiant Central Childern Academy
Jalalpur-Ambedkar Nagar

Principal
PRINCIPAL
Radiant Central Childern Academy
Jalalpur-Ambedkar Nagar